राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

Course on "Gender sensitization, women safety & cyber crime investigation"

दिनांक 10.10.2019 से 11.10.2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार **"Gender sensitization, women safety & cyber crime investigation"** विषय पर 02 दिवसीय कोर्स दिनांक 10.10.2019 से 11.10.2019 तक आयोजित किया गया ।

कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 32 प्रतिभागियों (SIUCAW यूनिटों के प्रभारी) इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (1) और पुलिस उप अधीक्षक (31) ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्स डायरेक्टर श्री सौरभ कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल कोर्सेज एवं सीओई ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कोर्स की प्रस्तावना के दौरान कोर्स की आवश्यकता और महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध कारित अपराधों के त्वरित, प्रभावी और कुशलतापूर्वक अनुसंधान और पर्यवेक्षण के महत्व को बताया। प्रतिभागियों से उनकी कोर्स के अपेक्षाओं बाबत चर्चा की।

कोर्स के उदघाटन समारोह में प्रो0 डॉ लाड कुमारी जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, राजस्थान जयपुर ने महिलाओ के प्रति अपराध-पुलिस से अपेक्षा एवं भूमिका विषय पर प्रकाश डाला, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के जेन्डर सेन्सिटाईजेशन पर विशेष बल देते हुए समुचित सुनवाई, प्रकरणों का रजिस्टेशन और पुलिस द्वारा काउंसलिंग की आवश्यकता बताई।

प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में श्री धन्नाराम रिटायर्ड आरएचजेएस, जयपुर ने पोक्सो अधिनियम 2012 एवं जेजे एक्ट 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री राजेश डोगीवाल, उप निदेशक महिला अधिकारिता जयपुर ने महिलाओं, विभिन्न स्कीमों यथा- वन स्टाफ क्राईसिस सेन्टर, साथिन, आत्म रक्षा केवाईएस- केवाईपी, महिला लाईन 1090 आदि के बारें में विस्तृत जानकारी दी। तृतीय सत्र में डा0 राजेश कुमार, सहायक निदेशक, सेरोलॉजी डिवीजन, एफएसएल, जयपुर ने यौन उत्पीड़न मामलों में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका और साक्ष्य उठाये जाने की पद्धति, उसे पैक करने का तरीका बताते हुए व्याख्यान प्रस्तुत किया। डीएनए साक्ष्य का परिचय और महत्व एवं SAECK KIT का डेमो दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में डॉ एनएल दिसानिया, एसो0 प्रो0 एसएमएस, जयपुर ने पीड़िता की मेडिकल जांच से जुड़े मुद्दों पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक सीसीपीएस, जयपुर ने महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराध और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर दुर्व्यवहार, साइबर पोर्नोग्राफी पेडोफिलिया एव वेबसाइटों को अवरुद्ध करने और आपत्तिजनक सामग्री को रोकने के प्रावधानों, प्रक्रियाओं और उपायों के संबंध में व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में डा0 सुमन राव अभियोजन अधिकारी आरपीए, जयपुर ने 498 आईपीसी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या के मामले, 304 बी आईपीसी एवं घरेलू हिंसा अधिनियम व आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 एवं आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों और विधाओ से संबंधित अतिथि व्याख्याताओं, जिसमें चिकित्सा विज्ञानी, पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड न्यायाधीश, अभियोजन अधिकारी आदि द्वारा जेन्डर सेंसेटाईजेशन, महिला सुरक्षा एवं साईबर अपराध पर व्याख्यान दिये गये।

कोर्स के अंत में आयोजित समापन समारोह में कोर्स डायरेक्टर श्री सौरभ कोठारी द्वारा मुख्य अतिथि डा. रवि प्रकाश मेहरडा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईटस एवं हयूमन टेफिकिंग, राजस्थान जयपुर का ग्रीन वेलकम करते हुए पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा उदबोधन दिया जाकर प्रशिक्षणार्थियों को महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के विरूध अपराधों के समुचित अनुसंधान व सम्यक पर्यवेक्षण से जुडे बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए SIUCAW यूनिट के अधिकारियों को अपेक्षित संवेदनशीलता से कार्य करते हुए संबंधित अपराधों के समय पर रजिस्टेशन, बेहत्तर अनुसंधान और पर्यवेक्षण के साथ-साथ यथोचित काउन्सलिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया। विस्तृत मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन उपरांत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि महोदय, सभी प्रतिभागियों और अपनी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कोर्स सधन्यवाद सम्पन्न हुआ।

कोर्स रिपार्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(सौरभ कोठारी)
अति.पुलिस अधीक्षक
कोर्स डायरेक्टर, आर.पी.ए.